

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, सिरौही (राज.)


क्रमांक : एफ : (2) राविमसि / अका / 2022-23 /

दिनांक: 15-09-2022

सत्र 2022-23

ऑफलाइन प्रवेश कार्यक्रम— प्रथम वर्ष विधि स्नातक (सत्र 2022-23)

| क्र. सं. | विवरण | तिथि | समय |
|----------|--|------------|-------------------|
| 1 | ऑफलाइन आवेदन—पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि | 16-09-2022 | प्रातः 10.00 बजे |
| 2 | ऑफलाइन आवेदन —पत्र भरने की अन्तिम तिथि | 23-09-2022 | दोपहर 2.00 बजे तक |
| 3 | महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के सत्यापन की अन्तिम तिथि | 27-09-2022 | दोपहर 2.00 बजे तक |
| 4 | अन्तरिम प्रवेश सूची का प्रकाशन | 27-09-2022 | सायं 5.00 बजे |
| | अभ्यर्थियों द्वारा मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं शुल्क जमा करवाने की अन्तिम तिथि | 29-09-2022 | दोपहर 2.00 बजे तक |
| 5 | प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची का प्रकाशन | 30-09-2022 | दोपहर 2.00 बजे तक |


प्राचार्य

राजकीय विधि महाविद्यालय, सिरौही

प्रेस नोट

राजकीय विधि महाविद्यालय, सिरोही ने विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु वांछित अनुमति आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर से प्राप्त हो चुकी है। उक्त अनुमति बॉर कॉसिल ऑफ इण्डिया की शर्तों पर दी गई है। प्रथम वर्ष में प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 23-09-2022 को दोपहर 2.00 बजे तक निर्धारित की जाती है। इस हेतु छपे हुए कॉमन आवेदन प्रपत्र महाविद्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र मय दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ निर्धारित अन्तिम तिथि तक जमा करवाये जा सकते हैं। अंतरिम प्रवेश सूची का प्रकाशन दिनांक 27/09/2022 को प्रातः 11:00 बजे किया जायेगा एवं उसी दिन अपराह्न 2:00 बजे तक प्रवेश सूची बाबत आपत्तिया प्रस्तुत की जा सकेगी। शुल्क जमा करवाने की अन्तिम तिथि 29-09-2022 होगी। प्रवेशित विद्यार्थियों की अन्तिम सूची 30.09.2022 को प्रकाशित की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ जमा करवाये जाने वाले प्रपत्रों की सूची:-

1. दसवी एवं बारहवी की अंक तालिका की स्वयं सत्यापित प्रति
2. स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की स्वयं सत्यापित अंकतालिका की प्रति
3. स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध एवं उत्तराद्ध की स्वयं सत्यापित अंकतालिका
4. जाति प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति (ओबीसी का सर्टिफिकेट एक वर्ष तक मान्य है तथा अधिकतम तीन वर्ष तक लेटेस्ट आय प्रमाण पत्र के साथ मान्य रहेगा)
5. E.W.S का नवीनतम सर्टिफिकेट (एक वर्ष तक मान्य)
6. पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड)
7. आय प्रमाण पत्र की प्रति
8. अन्तिम संस्थान द्वारा जारी टी.सी. एवं सी.सी. की प्रति।
9. मार्ड्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति।



प्राचार्य

राजकीय विधि महाविद्यालय, सिरोही